

न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)  
(समक्ष : डी.एस.मण्डलोई)

आप.प्रकरण क्र. 464 / 05  
संस्थित दि.: 25 / 07 / 05

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र बिरसा  
अन्तर्गत चौकी मछुरदा जिला बालाघाट (म.प्र.)

..... अभियोगी

विरुद्ध

सुनील शर्मा पिता दुर्गा प्रसाद शर्मा उम्र 50 साल  
निवासी केलाबाड़ी साहू सदन के पास दुर्ग जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़)

..... आरोपी

— :: निर्णय :: —

(दिनांक—27 / 02 / 2015 को घोषित किया गया)

(01) आरोपी पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 338, 337 का आरोप है कि आरोपी ने दिनांक—29.05.2005 को दिन के 03:45 बजे ग्राम पोटियापाट जंगल थाना बिरसा अन्तर्गत लोकमार्ग पर वाहन जीप क्रमांक सी.जी.07—जे.डी.6129 को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक चलाते हुए मानव जीवन को संकटापन्न कारित किया एवं बैसाखू को टक्कर मारकर गम्भीर उपहति एवं करणजीतसिंह को साधारण उपहति कारित की।

(02) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी बैसाखू ने दिनांक—29.05.2005 को चौकी मछुरदा में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि दिनांक—29.05.2005 को वह सायकिल से ग्राम मछुरदा से उसके गांव बहेराभाटा जा रहा था। सालेटेकरी की ओर से जीप क्रमांक सी.जी.07—जे.डी.6129 का चालक वाहन को तेजगति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए लाया और उसकी सायकिल को टक्कर मार दिया जिससे वह सायकिल सहित जमीन पर गिर गया और उसे बांये पसली में तथा दोनों जांघों में चोट आई तथा सायकिल भी टूट—फूट गई। जीप नाके में घुस गई जिससे जीप में बैठे एक आदमी को भी चोट आई। जीप चालक जीप छोड़कर भाग गया। फरियादी की रिपोर्ट पर जीप क्रमांक सी.जी.07—जे.डी.6129 के चालक के विरुद्ध अपराध क्रमांक 105 / 05 अन्तर्गत धारा 279, 337 भा.दं.वि. की प्रथम सूचना

रिपोर्ट लेखबद्ध कर असल नम्बरी हेतु थाना बिरसा भेजा जिस पर थाना बिरसा की पुलिस के द्वारा आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 29/05 कायम कर जीप क्रमांक सी.जी.07-जे.डी.6129 के चालक सुनील शर्मा को गिरफ्तार कर आवश्यक विवेचना पूर्ण कर आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337, 338 के तहत यह अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

(03) आरोपी को मेरे पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 338, 338 का अपराध-विवरण विरचित कर पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने अपराध करना अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा।

(04) आरोपी का बचाव है कि वह निर्दोष है फरियादी ने बीमा राशि प्राप्त करने के लिए पुलिस से मिलकर उसके विरुद्ध झूठा प्रकरण तैयार कराकर उसे झूठा फंसाया है।

(05) आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने के लिए निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है :-

- (1) क्या आरोपी ने दिनांक-29.05.2005 को दिन के 03:45 बजे ग्राम पोटियापाट जंगल थाना बिरसा अन्तर्गत लोकमार्ग पर वाहन जीप क्रमांक सी.जी.07-जे.डी.6129 को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक चलाते हुए मानव जीवन को संकटापन्न कारित किया ?
- (2) क्या इसी दिनांक, समय व स्थान पर आरोपी ने वाहन जीप क्रमांक सी.जी.07-जे.डी.6129 को तेजी एवं लापरवाही चलाकर बैसाखू को टक्कर मारकर गम्भीर उपहति कारित की।
- (3) क्या इसी दिनांक, समय व स्थान पर आरोपी ने वाहन जीप क्रमांक सी.जी.07-जे.डी.6129 को तेजी एवं लापरवाही चलाकर करणजीतसिंह साधारण उपहति कारित की।

-:: सकारण निष्कर्ष ::-विचारणीय बिन्दु क्रमांक 1, 2 एवं 3 :-

(06) प्रकरण में अभिलेख पर आई साक्ष्य को दृष्टिगत् रखते हुए तथा साक्षियों की साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो, सुविधा की दृष्टि से विचारणीय बिन्दु क्रमांक 1, 2 एवं 3 का एक साथ विचार किया जा रहा है।

(07) अभियोजन साक्षी बैसाखू (अ.सा. 2) का कहना है कि घटना उसके कथन से लगभग 9-10 साल पुरानी है। वह पोटियापाट जंगल में सड़क के किनारे खड़ा था एक जीप आई और उसने उसे टक्कर मार दी जिससे उसे पैर में व हाथों में तथा शरीर पर चोट आई। उसने घटना की रिपोर्ट चौकी मछुरदा में की थी जो प्रदर्श पी-02 है। घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-03 पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसकी सायकिल जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-04 बनाया था।

(08) फरियादी के कथनों का समर्थन करते हुए अभियोजन साक्षी/विवेचनाकर्ता जे.पी.मशराम (अ.सा. 6) का कहना है कि उसने दिनांक 29.05.2005 को सूचनाकर्ता बैसाखू की मौखिक रिपोर्ट पर जीप क्रमांक सी.जी.07-जेड.डी.6129 के चालक के विरुद्ध अपराध क्रमांक 105/05 धारा 279, 337 भा.दं.वि. की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की थी जो प्रदर्श पी-02 है। उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट असल नम्बरी हेतु थाना बिरसा भेजा था जिस पर असल नम्बरी क्रमांक 29/05 धारा 279, 337 भा.दं.वि. प्रधान आरक्षक राधेश्याम राहंगडाले द्वारा दर्ज किया गया था जो प्रदर्श पी-06 है। दिनांक 29.05.2005 को फरियादी बैसाखू के बताये अनुसार एवं गवाहों के समक्ष घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-03 बनाया था। फरियादी बैसाखू एवं गवाह जोहनसिंह, राधेश्याम, ओमकुमार, करणजीतसिंह के बयान उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। घटनास्थल से साक्षियों के समक्ष जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-05 के अनुसार एक जीप क्रमांक सी.जी. 07-जेड.डी.6129 को क्षतिग्रस्त हालत में जप्त किया था। फरियादी बैसाखू से साक्षियों के समक्ष एक हीरो कम्पनी की सायकिल क्षतिग्रस्त हालत में जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-04 तैयार किया था। दिनांक 01.06.2005 को आरोपी सुनील शर्मा से वाहन के दस्तावेज एवं ड्रायविंग लायसेंस जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-07 तैयार किया था। आरोपी को साक्षियों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-08 तैयार किया था। फरियादी से जप्तशुदा सायकिल को फरियादी को हिफाजतनामा प्रदर्श पी-09 के

आधार पर दिया था। जप्तशुदा जीप का विधिवत् मैकेनिकल परीक्षण कराकर रिपोर्ट चालक के साथ संलग्न किया था एवं इसी प्रकार अभियोजन साक्षी हेमंत कुमार (अ.सा. 5) का कहना है कि वह मुलाहिजा फार्म भरकर आहत करणसिंह, बैसाखू का मुलाहिजा करवाने हेतु बिरसा अस्पताल ले गया था।

(09) फरियादी के कथनों का समर्थन करते हुए अभियोजन साक्षी डॉक्टर बी.पी. समद (अ.सा. 7) का कहना है कि उसने दिनांक 09.07.2005 को जिला चिकित्सालय बालाघाट में मेडिकल ऑफिसर के पद पर कार्यरत् रहते हुये एक्सरे टेक्नेशियन टी.सी. मेश्राम द्वारा तैयार की गई आहत बैसाखू पिता नैनसिंह की छाती की एक्सरे प्लेट क्रमांक 1786 का परीक्षण करने पर उसने आहत की बांयी तरफ की आठवी पसली में अस्थिभंग होना पाया था। उसके द्वारा तैयार की गई एक्सरा परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-10 है।

(10) किन्तु अभियोजन साक्षी जोनसिंह (अ.सा. 1) का कहना है कि घटना उसके कथन से आठ-नौ वर्ष पुरानी है। घटना दिनांक को बैसाखू घर आया तो उसने बताया कि उसका एकसीडेंट मुर्गी ले जाने वाले वाहन से हो गया है। साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस बात से स्पष्ट रूप से इन्कार किया है कि वाहन क्रमांक सी.जी.07-जेड.डी.6129 के चालक ने वाहन को तेजगति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर बैसाखू की सायकिल को टक्कर मारी थी तथा उसने पुलिस को प्रदर्श पी-01 का कथन दिया था।

(11) अभियोजन साक्षी ओमकुमार (अ.सा. 3) का कहना है कि घटना उसके कथन से लगभग 12 वर्ष पुरानी है। उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस बात से स्पष्ट रूप से इन्कार किया है कि जीप क्रमांक सी.जी.07-जेड.डी.6129 के चालक ने वाहन को तेजगति एवं लापरवाहीपूर्वक वाहन को चलाकर पोटियापाट के मोड़ पर बैसाखू को टक्कर मार दी थी जिससे बैसाखू रोड किनारे गिर गया था जिससे उसकी पसली टूट गई थी तथा जीप का चालक जीप को छोड़कर भाग गया था।

(12) अभियोजन साक्षी राधेश्याम (अ.सा. 4) का कहना है कि घटना के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस बात से स्पष्ट रूप से इन्कार किया है कि घटना दिनांक



को वह ओमकार के साथ मछुरदा से सालेटेकरी जा रहा था और पोटियापाट के पास सालेटेकरी तरफ से मछुरदा की ओर आ रही जीप क्रमांक सी.जी.07-जेड.डी.6129 के चालक ने जीप को तेजगति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर बैसाखू को टक्कर मार दी थी जिससे बैसाखू सायकिल सहित जमीन पर गिर गया था और उसे चोट आई थी। साक्षी ने इस बात से भी इन्कार किया है कि पुलिस ने उससे पूछताछ कर उसके बयान लिये थे तथा पुलिस ने घटनास्थल पर आकर फरियादी बैसाखू से पूछताछ उसके समक्ष घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-03 बनाया था। साक्षी ने इस बात से भी इन्कार किया है कि पुलिस ने घटनास्थल से क्षतिग्रस्त कमांडर जीप क्रमांक सी.जी.07-जेड.डी. 6129 जप्त की थी और जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-05 बनाया था तथा हीरो कम्पनी की सायकिल जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-04 बनाया था।

(13) आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता का बचाव है कि आरोपी निर्दोष है फरियादी बीमा राशि प्राप्त करने हेतु पुलिस से मिलकर झूठा प्रकरण पंजीबद्ध कराया है और असत्य कथन किये हैं। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। साक्षी जोनसिंह (अ.सा. 1) एवं ओमकुमार (अ.सा. 3), राधेश्याम (अ.सा. 4) को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षियों ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। अभियोजन का प्रकरण सन्देहस्पद है। अतः सन्देह का लाभ आरोपी को दिया जाये।

(14) आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता के बचाव पर विचार किया गया।

(15) अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षी/फरियादी बैसाखू (अ.सा. 2), विवेचनाकर्ता जे.पी.मशराम (अ.सा. 6) के कथनों से दुर्घटना कारित होना एवं अभियोजन साक्षी डॉक्टर बी.पी.समद् (अ.सा. 7) के कथनों से बैसाखू को गम्भीर उपहति कारित होना तो परिलक्षित होता है। किन्तु फरियादी/आहत बैसाखू के द्वारा स्वयं यह स्वीकार करने से कि उसने दुर्घटना के समय वाहन चालक को नहीं देखा था तथा साक्षी जोनसिंह (अ.सा. 1) ओमकुमार (अ.सा. 3) राधेश्याम (अ.सा. 4) ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। अभियोजन द्वारा साक्षी जोनसिंह (अ.सा. 1) ओमकुमार (अ.सा. 3) राधेश्याम (अ.सा. 4) पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षियों द्वारा अभियोजन का समर्थन नहीं करने से सुनील शर्मा ने दिनांक-29.05.2005 को दिन के 03:45 बजे ग्राम पोटियापाट जंगल थाना बिरसा अन्तर्गत लोकमार्ग पर वाहन जीप क्रमांक सी.जी.

07-जेड.डी.6129 को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक चलाते हुए मानव जीवन को संकटापन्न कारित किया एवं बैसाखू को टक्कर मारकर गम्भीर उपहति कारित की व करणजीतसिंह को साधारण उपहति कारित की। यह विश्वासनीय प्रतीत नहीं होता है।

(16) उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर अभियोजन का प्रकरण युक्ति-युक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा कि आरोपी सुनील शर्मा ने दिनांक-29.05.2005 को दिन के 03:45 बजे ग्राम पोटियापाट जंगल थाना बिरसा अन्तर्गत लोकमार्ग पर वाहन जीप क्रमांक सी.जी.07-जेड.डी.6129 को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक चलाते हुए मानव जीवन को संकटापन्न कारित किया एवं बैसाखू को टक्कर मारकर गम्भीर उपहति एवं करणजीतसिंह को साधारण उपहति कारित की। अभियोजन का प्रकरण सन्देहस्पद प्रतीत होता है। अतः सन्देह का लाभ आरोपी को दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

(17) परिणाम स्वरूप आरोपी सुनील शर्मा को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 338, 337 के आरोप में दोषसिद्ध न पाते हुए दोषमुक्त किया जाता है।

(18) प्रकरण में आरोपी पूर्व से जमानत पर है, उसके पक्ष में पूर्व के निष्पादित जमानत एवं मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

(19) प्रकरण में जप्तशुदा वाहन जीप क्रमांक सी.जी.07-जेड.डी.6129 एवं वाहन से संबंधित दस्तावेज सुपुर्दगी पर है एवं जप्तशुदा हीरो सायकिल जिसका फ्रेम क्रमांक 278575 है हिफाजतनामा पर है। सुपुर्दगीनामा एवं हिफाजतनामा अपील अवधि पश्चात् भारमुक्त हो। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार सम्पत्ति का निराकरण किया जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर  
खुले न्यायालय में घोषित किया गया ।

मेरे बोलने पर टंकित  
किया गया ।

(डी.एस.मण्डलोई)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)

(डी.एस.मण्डलोई)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
बैहर, जिला बालाघाट(म0प्र0)